क्रमांक जी-20014/8/2004-केवीआई
भारत सरकार
कृषि और ग्रामोद्योग मंत्रालय

उद्योग भवन, नई दिल्ली
दि. 3 अक्टूबर, 2005

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन हेतु कोष की योजना ।

भारत वर्ष में परंपरागत उद्योग पुरातन काल से अनवरत चले आ रहे हैं । परंपरागत उद्योगों के पर्यावरण अनुकूल उत्पादों में न केवल उत्पादन तथा निर्यात क्षेत्र में असीम क्षमता है अपितु देश के ग्रामीण क्षेत्रों में वृहद स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित किए जा सकते हैं । परंपरागत उद्योगों को अधिक उत्पादनशील, प्रतिस्पर्द्धी बनाने और उनको अविरल विकास की सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से केंद्र सरकार ने 100 करोड़ रु. की राशि आबंटित करके परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन हेतु कोष की स्थापना करने की घोषणा की । इस घोषणा के मद्देनजर "परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन हेतु कोष की योजना (स्फूर्ति)" के शीर्षक से केन्द्रीय क्षेत्र योजना का खाका तैयार कर, 97.25 करोड़ रु. की कुल लागत राशि सहित अनुमोदन ले लिया है । योजना का कार्यान्वयन कृषि और ग्रामोद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, इसकी संस्थाओं एवं संस्थानों द्वारा राज्य सरकारों, उनके संबद्ध संगठनों, गैर सरकारी संगठनों आदि के सहयोग से किया जाएगा । "परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन हेतु कोष की योजना (स्फूर्ति)" के प्रचालन दिशानिर्देशों का विवरण निम्नानुसार है :-

2. परंपरागत उद्योग तथा परंपरागत उद्योग क्लस्टरों की परिभाषा :-

1) मुख्य रुप से परंपरागत उद्योग का अर्थ है - "एक ऐसी गतिविधि जिसमें स्थानीय तौर पर उपलब्ध कच्चे माल, कौशल तथा देशी तकनीक का प्रयोग कर विपणन योग्य उत्पादों का उत्पादन किया जाता है ।"
2) परंपरागत उद्योग समूह :- योजना के संदर्भ में, इसका आशय है कि राज्य के एक या अधिक लगते हुए जिलों में / दो या दो से अधिक राजस्व उपमंडलों में स्थित कारीगरों /लघु उद्यमियों के लगभग 500 लाभार्थी परिवारों, कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता, व्यापारी, सेवा देने वाले आदि का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में एकत्रीकरण ।

3. योजना के लक्ष्य :- योजना के लक्ष्य है :-

(1) वर्ष 2005-06 से आरम्भ कर 5 वर्ष की अवधि में देश के विभिन्न भागों में पारंपरिक उद्योगों के समूह का विकास ।
(2) परंपरागत उद्योगों को, अधिक विपणनशाली, उत्पादक, ग्रामीण उद्यमियों और परंपरागत उद्योग कारीगरों को लाभप्रद तथा प्रोत्साहनवर्द्धक रोजगार के अवसर प्रदान करके, अधिक प्रतिस्पर्द्धी बनाना ।

(3) उद्योग क्लस्टरों की स्थानीय शासकीय प्रणाली को स्थानीय हितधारियों की सक्रिय भागीदारी से मजबूत करना ताकि वे स्वयं विकास हेतु पहल करने योग्य हो सके ।

(4) नवीन तथा परंपरागत कौशल, उनत प्रौद्योगिकियों, उनत प्रक्रियाओं, विपणन आसूचना तथा सार्वजनिक और निजी भागीदारी के नए मानक तैयार करना ताकि समूह आधारित परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन के लिए ऐसे मानकों को धीरे-धीरे से परिवर्तित किया जा सके ।

4. लक्ष्य क्षेत्र तथा संभावित लाभार्थियों में निम्नलिखित शामिल होंगे :-

(i) परंपरागत उद्योगों में लगे तथा खादी, कॉयर एवं ग्रामोद्योग (चमडा और कुम्हारी सहित) के चयनित क्लस्टरों में कार्य कर रहे कारीगर, कामगार, मशीन निर्माता, कच्चा माल उपलब्ध कराने वाले, उद्यमी, संस्थागत और निजी व्यापार विकास सेवा उपलब्ध कराने वाले ।

(ii) कारीगर गिल्ड, सहकारी समितियाँ, कंसोर्टियम, उद्यमी नेटवर्क, स्वसहायता समूह (एस.एच.जी.), उद्यमी संघ इत्यादि ।

(iii) परंपरागत उद्योगों में प्रत्यक्ष रुप से लगे कार्यान्वयी अभिकरण, सरकारी संस्थानों/संगठनों तथा नीति निर्माताओं के क्षेत्रीय कार्यकर्ता ।

5. क्लस्टर के चयन हेतु मानदण्ड :- क्लस्टरों का चयन राज्य के एक या अधिक लगते हुए जिलों में (दो या दो से अधिक राजस्व उप मंडलों अथवा समीपवर्ती जिलों में स्थित कारीगरों/लघु उद्यमियों के लगभग 500 लाभार्थी परिवारों, कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता, व्यापारी, सेवा प्रदान करने वाले आदि का चयन उनके भौगोलिक क्षेत्र में एकत्रीकरण के आधार पर होगा । क्लस्टर, चमड़ा तथा कुम्हारी सहित खादी, कॉयर तथा ग्रामोद्योग से संबद्ध होंगे । स्फूर्ति के अन्तर्गत क्लस्टरों का चयन करते समय उत्पादन में वृद्धि हेतु क्षमता तथा रोजगार सृजन के अवसरों पर भी विचार किया जाएगा । क्लस्टरों का चयन करते समय देश में क्लस्टरों के भौगोलिक वितरण सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में क्लस्टरों की कुल संख्या के कम से कम 10 % भाग को भी ध्यान में रखना होगा ।

6. मध्यस्थता/सहायता उपाय :- इनमें निम्नलिखित शामिल होगे :-

1. खादी क्षेत्र में चरखा और लूम को बदलना ।
2. सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना ।
3. विभिन्न खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों के लिए नई डिजाइन, नए उत्पादों का विकास, नई /सुधरी पैकेजिंग इत्यादि ।
4. विपणन संवर्धन गतिविधियाँ
5. अन्य क्लस्टरों तथा संस्थाओं में प्रदर्शन अभिमुख दौरे, आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण, क्लस्टर स्तरीय नेटवर्क की स्थापना हेतु समर्थन (उद्योग संघ) तथा अन्य आवश्यकता आधारित समर्थन जैसी क्षमता निर्माण गतिविधियाँ ।
6. निदान अध्ययन के भाग स्वरुप क्लस्टर के विकास के लिए आवश्यक समझी जाने वाली तथा क्लस्टर हेतु वार्षिक योजना कार्यान्वयी अभिकरण द्वारा पहचानी गई अन्य गतिविधियाँ ।

7. योजना संचालन समिति (एस.एस.सी.)(स्कीम स्टीरिंग कमेटी) :- कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय योजना की सम्पूर्ण नीति, समन्वय तथा प्रबंधकीय समर्थन उपलब्ध कराने हेतु समन्वय मंत्रालय होगा । अनुलग्नक-I में दिए विवरणानुसार सचिव (लघु उद्योग तथा कृषि ग्रा.मंत्रालय) की अध्यक्षता में एक योजना संचालन समिति का गठन किया जाएगा । एस.एस.सी. कार्य की आवश्यकतानुसार उद्योग संघों, अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं तथा अन्य निजी क्षेत्र के विशेषज्ञ संगठनों के प्रतिनिधियों को सदस्यों/विशेष अतिथियों के रुप में आमंत्रित कर सकती है । एस.एस.सी. योजना के उद्देश्य तथा लक्ष्यों को प्रभावित किए बगैर गतिविधियों तथा निधियों का अन्तक्षेत्रीय समायोजन कर सकती है ।

8. नोडल एजेंसियाँ (अभिकरण) :- योजना हेतु निम्नलिखित अभिकरणों को नोडल एजेंसी के रुप में नामोद्दिष्ट किया है :-

1. खादी और ग्रामोद्योग आयोग
2. कॉयर बोर्ड

प्रत्येक नोडल एजेंसी पारदर्शी मानदंडों के आधार पर कार्यान्वयी एजेंसियों (आई.ए.) की पहचान करेगी । नोडल एजेंसी द्वारा सुझाई गई एजेंसियों का एस.एस.सी. द्वारा अनुमोदन किया जाएगा । नोडल एजेंसी, एस.एस.सी. के सम्पूर्ण पर्यवेक्षण के अन्तर्गत पहचान की गई एजेंसियों को दी जाने वाली राशि को सरंक्षित करने तथा वितरण हेतु जिम्मेदार होगी ।

9. तकनीकी एजेंसियाँ (अभिकरण) :- ये क्लस्टर विकास प्रक्रिया में विशेषज्ञता प्राप्त राष्ट्रस्तरीय संस्थाएं होगी जो नोडल एजेंसियों तथा पहचानी गई एजेंसियों को तकनीकी समर्थन उपलब्ध कराएगी । तकनीकी एजेंसियों की जिम्मेदारियों में नोडल एजेंसियों को समूहों की पहचान में सहायता प्रदान करना, समूह विकास एजेंटों तथा आईए और अन्य अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण संचालित करना, समूह कार्ययोजना की वैधता, मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन आदि कार्य शामिल है ।

10. कार्यान्वयी अभिकरण (आईए):- कार्यान्वयी अभिकरण समूह विकास हेतु उपयुक्त अनुभव वाली केन्द्र और राज्य सरकारों की गैर सरकारी संस्थाएं होगी । सामान्यतः एक कार्यान्वयी अभिकरण को केवल एक समूह दिया जाएगा(जब तक की यह अभिकरण राज्य भर में कार्यरत न हो) । आईए का चयन नोडल एजेंसी द्वारा क्षेत्रीय प्रसिद्धी तथा बुनियादी स्तर पर कार्य अनुभव एवं पारदर्शी मानदण्डों के आधार पर होगा जिसका अनुमोदन एसएससी द्वारा किया जाएगा जो कि अंत में चयन कर पुनरीक्षण भी करेगी ।

खादी क्षेत्र में, 'ए' श्रेणी की एक या अधिक संस्थाएं जिनमें की 500 कत्तीन और बुनकर है, का प्रत्येक खादी समूह हेतु चयन किया जाएगा । देश भर में इन संस्थाओं का उचित भौगोलिक वितरण भी होगा ।

ग्रामोद्योग एवं कयर उद्योग क्षेत्र के लिए कार्यान्वयी अभिकरण का चयन ऐसे गैर सरकारी संगठनों में से किया जाएगा जिन्हें उक्त क्षेत्र के निम्नतम स्तर के कार्यों विशेषकर ग्रामीण औद्योगिकरण का अनुभव हो।

II. क्लस्टर विकास एजेंट (सीडीए) :- प्रत्येक कार्यान्वयी अभिकरण प्रत्येक क्लस्टर हेतु अनन्य रुप से एक सीडीए की पहचान कर नियुक्ति करेगा जोकि क्लस्टर में पूर्णकालिक रुप से अवस्थित होगा और सौंपे गए क्लस्टर में योजना के कार्यान्वयन का कार्य करेगा । सीडीए को तकनीकी एजेंसी

के माध्यम से नोडल एजेंसी द्वारा समूह विकास प्रक्रिया हेतु आयोजित किए जाने वाले निर्धारित प्रशिक्षण ग्रहण करेगा । सीडीए की जिम्मेदारियों में नैदानिक अध्ययन का संचालन, समूह की वार्षिक कार्ययोजना की तैयारी और कार्यान्वयन, संस्थाओं के साथ सम्पर्क बढ़ाना, स्थानीय शासकीय तंत्र का निर्माण आदि कार्य शामिल होंगे ।

12. क्लस्टर विकास समन्वयन समूह :- प्रत्येक क्लस्टर में सीडीए की गतिविधियों को समर्थन देने और क्लस्टर विकास प्रक्रिया में क्लस्टर स्तरीय हित धारकों को शामिल करने के उद्देश्य से एक क्लस्टर विकास समन्वयन समूह बनाया जाएगा । लक्षित परंपरागत उद्योग उपक्रमों, सेवा समर्थन संस्थाओं, बैंकों, राज्य सरकार के अभिकरणों तथा अन्य प्रतिनिधि सीडीसीजी के सदस्य होंगे ।

13. वित्तीय सहायता :- योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता का प्रारुप निम्नानुसार होगा :-

क्र.	अंग	निधि का प्रारुप
I	खादी क्षेत्र	
1	खादी कत्तीनों और बुनकरों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु चरखो और लूम को बदलना । (औसत लागत - 50 लाख रु./प्रति समूह)	(क) अनुदान - 75 % (ख) लाभार्थी योगदान (संस्थाएं) 25 %
2	सामान्य सुविधा केन्द्र हेतु (i) बुनाई हेतु रेडीमेड ताने की आपूर्ति के लिए रेडीमेड ताने की इकाइयाँ । (ii) पश्च लूम सुविधाएं अर्थात् रंगाई और छपाई । (iii) मिश्रित रेडीमेड वस्त्र निर्माण इकाइयाँ स्थापित करना ताकि रेशों से रेडीमेड खादी उत्पाद तैयार हो सके । (iv) गुणवत्ता मानक लागू करने हेतु उत्पाद परीक्षण प्रयोगशाला । (v) सेवा और रखरखाव इत्यादि । (औसत लागत - 15 लाख रु. प्रति सीएफसी)	(क) अनुदान - 75 % (ख) लाभार्थी योगदान (संस्थाएं) 25 %
3	उत्पाद विकास और डिजाइन मध्यस्थता हेतु (i) साज-सज्जा हेतु रेशा डिजाइनिंग (ii) उच्च फैशन वस्त्रों हेतु नए डिजाइन (iii) रेशा विकास, सिल्क उत्पादों में कढ़ाई और (iv) प्राकृतिक रंगों का प्रयोग आदि (औसत लागत - 4 लाख रु. प्रति क्लस्टर)	(क) अनुदान - 75 % (ख) लाभार्थी योगदान (संस्थाएं) 25 %
II	ग्रामोद्योग और कॉयर उद्योग	
1	विशेषतः प्रसंस्करण खाद्य समग्री में गुणवत्ता मानक लागू करने तथा सेवा, मरम्मत और अन्य सामान्य आधारभूत ढ़ांचा के लिए परीक्षण यंत्र/प्रयोगशाला जैसे ग्रामोद्योग उत्पादों के निर्माण और प्रक्रिया के लिए सामान्य सुविधा केन्द्र (औसत लागत - 30 लाख रु.प्रति क्लस्टर)	(क) अनुदान - 75 % (ख) लाभार्थी योगदान (संस्थाएं) 25 %

2	उत्पाद विकास और अभिकल्प मध्यस्थता अर्थात् (i) नए उत्पादों का विकास विशेषतः हैंड बैग, जूते आदि जैसी सामग्री (ii) कुम्हारी सामग्री हेतु नए डिजाइन और (iii) पैकेजिंग हेतु सुधरे हुए/नए डिजाइन, विशेषतः आयुर्वैदिक एवं कास्मेटिक, कनफैक्शनरी सामग्री हेतु (औसत लागत - 4 लाख रु. प्रति क्लस्टर)	(क) अनुदान - 75 % (ख) लाभार्थी योगदान (संस्थाएं) 25 %
3	विपणन प्रोन्नति सहायता निम्नलिखित सामग्रियों हेतु (i) घरेलू/अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भागदारी और आयोजन (ii) क्रेता-विक्रेता बैठकों में भागीदारी (iii) विपणन केन्द्रों का नवीकरण और उन्नयन तथा (iv) बिक्री केन्द्रों का कम्प्यूटरीकरण, बार कोडिंग आदि (औसत लागत - 15 लाख रु. प्रति क्लस्टर)	अनुदान 100 %
4	क्षमता निर्माण उपाय - निम्नलिखित गतिविधियों हेतु (i) स्व-सहायता कार्यो, नए उत्पादों, प्रौद्योगिकियों आदि को समझने के लिए अन्य क्लस्टरों तथा संस्थाओं (बाह्य) का अभिमुखीकरण । (ii) क्लस्टरों में आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण (वैश्विक व्यापार मुद्दों, कौशल विकास, स्व-सहायता, सुधार तथा अन्य आवश्यकता आधारित मुद्दों से संबंधित) (iii) मूलभूत कार्यालय संरचना(पुस्तकों सहित) के रुप में क्लस्टर स्तरीय नेटवर्क की स्थापना हेतु समर्थन और (iv) नैदानिक अध्ययन से उत्पन्न होने वाली अन्य आवश्यकता आधारित समर्थन (औसत लागत - 15 लाख रु. प्रति क्लस्टर)	अनुदान 100 %
5	कार्यान्वयी एजेंसियों की लागत (आईए) (औसत लागत - 10 लाख रु. प्रति क्लस्टर)	अनुदान 100 %
6	क्लस्टर विकास एजेंट की लागत (औसत लागत - 9 लाख रु. प्रति क्लस्टर)	अनुदान 100 %
7	तकनीकी एजेंसियों की लागत (टीए) (एक मुश्त 4 करोड़ रु.)	अनुदान 100 %
8	सर्वेक्षण एवं अध्ययन (एक मुश्त 1.5 करोड़ रु.)	अनुदान 100 %

उपरोक्त दर्शाई गई लागत सांकेतिक है । गतिविधियों/तदनुरुप निधियों का अन्तर क्षेत्रीय समायोजन एसएससी द्वारा योजना के मूलभूत उद्देश्यों और संकेन्द्रण एवं मंजूरी हेतु प्रस्तावित सम्पूर्ण लागतों को प्रभावित किए बगैर किया जाएगा ।

14 क्लस्टर विकास प्रस्ताव तैयार करना :- एनए से प्राप्त हुए क्लस्टर विकास प्रस्तावों पर एसएससी द्वारा विचार किया जाएगा । एसएससी यह देखने का प्रयास भी करेगी कि चयनित क्लस्टर ठीक प्रकार से देश भर में फैले हो तथा जिनमें से कम से कम 10 % पूर्वोत्तर क्षेत्र में हो । एसएससी क्लस्टरों के चयन उनके आकार और भौगोलिक फैलाव में आवश्यक समायोजन/बदलाव कर सकेगी । परंपरागत उद्योगों के चयनित खण्डों में वैयक्तिक क्लस्टरों के विकास हेतु आवश्यक प्रति गतिविधि/हस्तक्षेप के उपाय हेतु वित्तीय सहायता की वास्तविक राशि, निदान अध्ययन और वार्षिक कार्ययोजनाओं के सावधानीपूर्वक विश्लेषण पर आधारित होगी जिसको एसएससी द्वारा एनए, टीए और आईए की मदद से तय किया जाएगा ।

15 वर्तमान योजनाओं के साथ संयोजन :- जैसा कि स्फूर्ति का क्लस्टर विकास हेतु उपयुक्त दृष्टिकोण है । अतः संबद्ध नोडल/कार्यान्वयी एजेंसियों को यह देखने हेतु प्रोत्साहित करना होगा कि इस प्रकार के प्रयास स्फूर्ति के साथ जारी रहे । पूरक तथा ्ाहयोग हेतु यह देखना होगा कि जहां तक सम्भव हो स्फूर्ति के अन्तर्गत क्लस्टरों में शामिल इकाइयों को ग्रारोसृका, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, महिला कॉयर योजना का लाभ मिले बशर्ते कि वे उन कार्यक्रमों के दिशानिर्देशों का संतोषजनक ढ़ंग से पालन करे । इससे वर्तमान में जारी कार्यक्रमों का अभिमुखीकरण और अधिकतम लाभ सुनिश्चित होंगे ।

पूर्व में प्रतिबद्ध कार्यक्रमों के अलावा ग्रामीण औद्योगिकीकरण हेतु वर्तमान राष्ट्रीय कार्यक्रम को स्फूर्ति में मिला दिया जाएगा । इसके बाद स्फूर्ति के अन्तर्गत चयनित क्लस्टरों में खाग्राआ अपने प्रोडिप और आरआईसीएस (रिस्क) कार्यक्रम का प्रचालन नहीं कर सकेगा ।

16 कार्यान्वयी प्रक्रिया :- एसएससी क्लस्टर विकास गतिविधियों में संलग्न कार्यान्वयी और नोडल एजेंसियों को तकनीकी समर्थन उपलब्ध कराने हेतु क्लस्टर विकास प्रक्रिया में महारत हासिल की हुई तकनीकी एजेंसियों की पहचान करेगी । डीए की मदद से नोडल एजेंसी क्लस्टरों की एवं प्रत्येक क्लस्टर हेतु एक कार्यान्वयी एजेंसी की पहचान करेगी । प्रत्येक आईए क्लस्टर विकास एजेंट की पहचान कर उसकी नियुक्ति करेगी (प्रत्येक क्लस्टर हेतु विशेषतया) जो कि पूर्णकालिक रुप से क्लस्टर में अवस्थित होगा और नामोद्दिष्ट क्लस्टर में योजना के कार्यान्वयन हेतु जिम्मेदार होगा । क्लस्टर विकास एजेंट क्लस्टरों में नैदानिक अध्ययन कर वार्षिक कार्ययोजना तैयार करेंगे जोकि वैधता के पश्चात क्लस्टर के विकास का आधार बनेगी ।

17 कोष प्रदान करना :- विशिष्ट क्लस्टर के अनुसार कोष प्रदान किया जाएगा । उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने और वास्तविक भौतिक प्राप्ति के आधार पर प्रत्यक्ष रुप से नोडल एजेंसियों को कोष प्रदान किया जाएगा । एन ए नोडल एजेंसी द्वारा क्लस्टर विकास हेतु कोष को एक अलग लेखे में रखा जाएगा जिसकी लेखापरीक्षा की जाएगी ।

18 परियोजना मॉनीटरिंग और मूल्यांकन :- समय-समय पर सही उपायों हेतु समवर्ती और कार्योत्तर मूल्यांकन अध्ययनों का संचालन किया जाएगा । इस बात पर भी बल दिया गया है कि स्फूर्ति के अन्तर्गत भी कुछ क्लस्टरों का मूल्यांकन अध्ययन किया जाए ताकि योजना के कार्यान्वयन में हुई कमियों और युटियों का पता लगाया जा सके। ।

19 इसको वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग (योजना वित्त -II, प्रभाग) यू.ओ.नोट सं. 19(4)/पीएफ-II/04 दि. 8.9.2005 तथा एकीकृत वित्त विंग, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के डायरी, क्र. 2010/वित्त.I/05 दि. 3.10.2005 के तहत दी गई उनकी सहमति से जारी किया गया ।

हस्ताक्षर,
(आशुतोष मिश्रा)
निदेशक
दूर- 011-23062745
फैक्स-011-23062886

मुख्य सचिव (सभी राज्य/के.शा.प्र.)

प्रतिलिपि,

1. सभी राज्य/के.शा.प्र. के प्रिसिंपल सचिव/सचिव, उद्योग विभाग (लघु उद्योग)
2. सलाहकार (वीएसई), योजना आयोग
3. संयुक्त सचिव (पीएफ II), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय
4. महालेखाकार (सभी राज्य/के.शा.प्र.)
5. अतिरिक्त सचिव & वित्तीय सलाहकार, कृषि और ग्रामोद्योग मंत्रालय
6. मुख्य लेखा नियंत्रक, कृषि और ग्रामोद्योग मंत्रालय
7. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई
8. सचिव, कॉयर बोर्ड, कोच्चि, केरल
9. आन्तरिक विभागों में संप्रेषण हेतु (मानक सूची)

अनुलग्नक-I

योजना विषय निर्वाचन समिति का गठन

सचिव, एसएसआई और एआरआई मंत्रालय	अध्यक्ष
अपर सचिव और विकास आयुक्त(लघु उद्योग), लघु उद्योग मंत्रालय	सदस्य
अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार (एएस & एफए), एसएसआई एवं एआरआई मंत्रालय (अथवा एक प्रतिनिधि)	सदस्य
सलाहकार (वीएसई), योजना आयोग (अथवा एक प्रतिनिधि)	सदस्य
मुख्य सलाहकार (पीएएमडी), सलाहकार (वीएसई), योजना आयोग (अथवा एक प्रतिनिधि)	सदस्य
मुख्य कार्यपालक अधिकारी, खाग्राआ	सदस्य
अध्यक्ष, खादी और ग्रामोद्योग प्रोन्नति संघ	सदस्य
सचिव, कॉयर बोर्ड	सदस्य
अध्यक्षीय प्रतिनिधि, भारतीय स्टेट बैंक	सदस्य
प्रतिनिधि, भारतीय बैंक संघ	सदस्य
अध्यक्षीय प्रतिनिधि, नाबार्ड	सदस्य
क्लस्टर विशेषज्ञ, एआरआई मंत्रालय द्वारा नामित	सदस्य
संयुक्त सचिव, एआरआई, मंत्रालय	संयोजक सदस्य